संख्या-31/2016/1495/18-4-2016-8(हस्तशिल्प)/10

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

प्रेषक,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 11 अगस्त,2016

विषय: डा0 राम मनोहर लोहिया विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार योजना की संशोधित गाइड लाइन्स निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-912/हस्त0-13/प्रादेशिक पुरस्कार/2016-17, दिनांक 13-6-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल डा0 राम मनोहर लोहिया विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार योजना की पारदर्शिता तथा वस्तुनिष्ठता के दृष्टिगत योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित दिशा-निर्देश (गाइड लाइन्स) निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) हस्तशिल्पियों की पात्रता:-

(अ) हस्तशिल्पियों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो तथा हस्तशिल्प क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव हो।

(ब) हस्तशिल्पी विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत हस्तशिल्प पहचान-पत्र धारक हो।

(स) पुरस्कार हेतु प्रेषित कलाकृति हस्तशिल्पी द्वारा स्वयं बनायी गयी हो।

(द) हस्तशिल्पियों को राज्य पुरस्कार एक ही बार दिया जायेगा। अतः जिन हस्तशिल्पियों को राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, वे इसके पात्र नहीं होंगे।

(2) प्रक्रिया:-

(अ) "डा0 राम मनोहर लोहिया विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार" योजना के अन्तर्गत निदेशालय, मण्डल एवं जिला स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

(ब) हस्तशिल्पी द्वारा अपने गृह जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र एवं कलाकृति उपलब्ध करायी जायेगी। आवेदन पत्र के साथ शपथ-पत्र, हस्तशिल्प पहचान-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र एवं आयु प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(स) जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र पर हस्तशिल्पियों से आवेदन-पत्र सहित कलाकृतियॉं प्राप्त की जायेंगी। सम्बन्धित उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा सभी अभिलेखों का गहन परीक्षण किया जायेगा तथा भौतिक सत्यापन कर यह प्रमाणित किया जायेगा कि पुरस्कार हेतु प्रेषित कलाकृति बनाने हेतु आवेदक को दक्षता हासिल है तथा सम्बन्धित कलाकृति आवेदक द्वारा ही बनायी गयी है। कलाकृति की उत्कृष्टता प्रमाणित करने हेतु कलाकृति की उत्पादन के विभिन्न चरणों/प्रक्रिया की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी भी करायी जा सकती है। भौतिक सत्यापन में कमियॉं परिलक्षित होने पर उन्हें इंगित करते हुये मण्डल स्तरीय चयन समिति को समयानुसार संसूचित किया जायेगा। जिला स्तर पर प्राप्त कलाकृतियॉं निर्धारित तिथि तक मण्डलीय कार्यालय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(द) कलाकृतियों का चयन मण्डल स्तर पर किया जायेगा। मण्डल स्तर पर भी अभिलेखों का गहन परीक्षण किया जायेगा तथा आवश्यक होने पर भौतिक सत्यापन भी किया जायेगा। मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा जिलों से प्राप्त कलाकृतियों में से उत्कृष्ट कलाकृतियों का चयन किया जायेगा। चयनित कलाकृतियों को निर्धारित तिथि पर उद्योग निदेशालय एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को उपलब्ध कराया जायेगा। मण्डल स्तर पर गठित समिति निम्नानुसार होंगी:-

1.	सम्बन्धित अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग	-अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित सहायक निदेशक, विकास आयुक्त(हस्त0) भारत सरकार।	-सदस्य
3.	जिलाधिकारी द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	-सदस्य
4.	सम्बन्धित अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा नामित मण्डल में स्थित एक या दो पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पी (जिनकी स्वयं या परिवार की कृति शामिल न हो)	-सदस्य
5.	मण्डल मुख्यालय के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र	सदस्य/सचिव

(3)मापदण्ड:-

(अ) कलाकृतियों के चयन में विलुप्त हो रही कलाओं एवं नवीन तकनीक को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ब) ऐसी कलाकृतियॉं जिसको बनाने के लिए हस्तशिल्पियों की संख्या अत्यधिक कम हो गई है तथा हस्तशिल्पियों द्वारा उक्त कलाकृतियों को बनाने में रूचि नहीं ली जा रही है, ऐसी विलुप्त प्राय कला को पुनर्जीवित करने हेतु हस्तशिल्पी द्वारा किये गये प्रयासों को ध्यान में रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(स) हस्तकला क्षेत्र में हस्तशिल्पी द्वारा किये गये विशिष्ट योगदान जिसका निर्धारण बायो-डाटा, उत्पादन प्रक्रिया के मध्य लिये गये फोटोग्राफ/वीडियोग्राफ एवं अन्य अभिलेखों से किया जा सकता है, को भी ध्यान में रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त हस्तशिल्पी का सम्बन्धित कला/क्राफ्ट से सम्बन्धित बैकग्राउण्ड एवं सम्बन्धित कला/क्राफ्ट को बढ़ावा देने हेतु किये गये सम्पूर्ण योगदान को भी ध्यान में रखते हुये चयन की कार्यवाही की जायेगी।

(द) हस्तशिल्पी की कला/क्राफ्ट उत्कृष्ट श्रेणी की हो। हस्तशिल्प की उत्कृष्टता का निर्धारण नमूना एवं उत्पादन प्रक्रिया के मध्य लिये गये फोटोग्राफ/वीडियोग्राफ से किया जायेगा।

(4)निदेशालय स्तर पर गठित समिति निम्नवत् होगी:-

1. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0 पदेन -अध्यक्ष/सचिव
   विकास आयुक्त हस्तशिल्प, उ0प्र0
2. क्षेत्रीय निदेशक(हस्त0), मध्य क्षेत्र कार्यालय -सदस्य
   विकास आयुक्त (हस्त0) भारत सरकार, लखनऊ
3. निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ -सदस्य
4. प्रधानाचार्य, कला एवं शिल्प विद्यालय, लखनऊ -सदस्य
5. प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं
   विपणन निगम लि0 लखनऊ -सदस्य

(5) मण्डल स्तर से प्राप्त कलाकृतियों का चयन निदेशालय स्तर पर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में गठित उपर्युक्त समिति द्वारा किया जायेगा। समिति के समक्ष कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जायेगा। कलाकृतियों को प्रदर्शित करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कलाकृति पर कोई ऐसा चिन्ह आदि अंकित न हो जिससे कलाकृति से सम्बन्धित शिल्पी की पहचान हो सके। गोपनीयता की दृष्टि से कलाकृतियों की कोडिंग की जायेगी तथा प्रत्येक कलाकृति को कोड नम्बर दिया जायेगा। निदेशालय स्तर पर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग एवं गठित समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा उपर्युक्त मापदण्डों एवं कलाकृति की विशिष्टिता एवं उत्कृष्टता के आधार पर कलाकृति को 01 से अधिकतम 10 अंक दिये जायेंगे। इस प्रकार सभी सदस्यों द्वारा दिये गये अंकों को जोड़कर उस कलाकृति को प्राप्त अंकों का निर्धारण किया जायेगा। कलाकृति को दिये गये अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में सूची तैयार की जायेगी। उक्त सूची में से प्रथम 20 (क्रमांक 01 से 20) कलाकृतियों को राज्य पुरस्कार हेतु चयन किया जायेगा। क्रमांक-21 से 40 पर अंकित कलाकृतियों को दक्षता पुरस्कार हेतु चयन किया जायेगा। तदोपरान्त डिकोडिंग कर राज्य पुरस्कार हेतु चयनित हस्तशिल्पियों एवं दक्षता पुरस्कार हेतु चयनित हस्तशिल्पियों का निर्धारण किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में लागू होगी। योजनान्तर्गत चयनित हस्तशिल्पियों को पुरस्कार वितरण की व्यवस्था समारोह आयोजित कर की जायेगी।

(7) योजनान्तर्गत राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार के अंतर्गत चयनित हस्तशिल्पियों को रू0 35000/-(रू0 पैंतीस हजार) मात्र प्रति हस्तशिल्पी तथा दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार के अंतर्गत चयनित हस्तशिल्पियों को रू0 20,000/- (रू0 बीस हजार) मात्र प्रति हस्तशिल्पी पुरस्कार स्वरूप चेक अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित हस्तशिल्पियों को ताम्रपत्र, अंगवस्त्रम एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायेंगे।

(8) डा0 राम मनोहर लोहिया विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार योजना की धनराशि बढाये जाने के सम्बंध में तथा किसी प्राविधान के संशोधन, परिमार्जन करने तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार मा0 मुख्यमंत्री जी में निहित होगा।

(9) इस सम्बंध में पूर्व में निर्गत आदेश/नियमावली इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव।

संख्या-31/2016/1495/18-4-2016 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0
4. अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0, लखनऊ।
6. समस्त संयुक्त आयुक्त उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0।
7. समस्त उपायुक्त उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, उ0प्र0
8. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-I,2 एवं 3
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in